सचिव, केरल राज्य तटीय प्रबंधन

प्राधिकरण

वी.

डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड

(पूर्व में सलाहकार बिल्डरों के रूप में जाना जाता है और

डेवलपर्स पीवीटी। लिमिटेड) & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 117-120 2018 का)

10 जनवरी, 2018

[आर. एफ. नरीमन और संजय किशन कौल, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः

पर्यावरण मंजूरी-तटीय विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) अधिसूचना-उल्लंघन-अवैध निर्माण का नियमितीकरण

तथ्यों पर, केरल में चिलावन्नुरकायल (अप्रवाही जल) के तट पर बहुमंजिला आवासीय परिसर का निर्माण-आरोप कि निर्माण परियोजना सी. आर. जेड. के उल्लंघन में पूरी हुई

अधिसूचना-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि

निर्माण अवैध था, नियमित करने में सक्षम नहीं था, इस प्रकार इसके विध्वंस के लिए निर्देश पारित किए गए-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए, विध्वंस के आदेश को दरकिनार कर दिया और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने के भुगतान पर नियमितीकरण का निर्देश दिया-अपील पर कहा गयाः अधिकारियों ने बड़े निवेश को खतरे में डालते हुए एक फ़्लिप-फ़्लॉप-फ़्लिप करना जारी रखा-विशेषज्ञ

अधिकारियों को इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करना था, लेकिन उनके लापरवाह रवैये ने डी. एल. एफ. को पर्यावरण मंजूरी का मुद्दा उठाने की अनुमति दी-कथित उल्लंघन स्पष्टता के साथ सामने नहीं आए हैं-सी. आर. जेड. उल्लंघन पर निचली अदालतों के निष्कर्षों में आरोप लगाया गया है।

डी. एल. एफ. के खिलाफ अलग रखा गया-एम. ओ. ई. एफ. का दृष्टिकोण भी प्रतीत होता है

जो कहा गया था उसके बीच एक अजीब और पूर्ण विरोधाभास

अदालतों के समक्ष-इस प्रकार, विवादित आदेश के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है जबकि 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

निर्माण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी-आवेदन

के लिए-आयोजितः अधिक एकल खिड़की मंजूरी की आवश्यकता है, ताकि कम अनिश्चितता और बेहतर प्रवर्तन हो।

146 एसईसीवाई। , केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के महत्व के लिए विभिन्न विनियमों, नियमों को लागू करने की आवश्यकता है

और अधिनियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अधिक संवेदनशीलता के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) विनियमों से निपटने के लिए केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (के. सी. जेड. एम. ए.) अपीलार्थी जैसे विशेष निकाय बनाए गए हैं। इस प्रकार, यह कहने का कोई जवाब नहीं है कि इसके पास कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है

और इस प्रकार, कार्य नहीं कर सकते। [पैरा 43] [164-ई]

अनिल होबल बनाम। काशीनाथ जयराम शेट्टी (2016) 10 एस. सी. सी. 701; केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बनाम। सीशेल्स बीच रिज़ॉर्ट [2012] 5 एससीआर 1108: (2012) 6 एस. सी. सी. 136; ईशा एकता अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम।

मुंबई नगर निगम [2013] 4 एस. सी. आर. 478: [2013] 5 एस. सी. सी. 357; पाइडेड फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम।

गोवा राज्य [2004] 2 एससीआर 1135: (2004) 3 एससीसी 445 -

संदर्भित किया गया।

1.2 यदि डी. एल. एफ. द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लंघन के आरोप सही होते हैं तो संरचना को गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। निस्संदेह प्रक्रियाओं पर अधिक स्पष्टता और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच एक बेहतर समझ होनी चाहिए ताकि डेवलपर्स को मुश्किल में न छोड़ा जाए-उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अधिकारी ऐसा करना जारी रखें। फ्लिप-फ्लॉप-बड़े निवेश को खतरे में डालना। तत्काल मामले में ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है। [पारस 48-49] [166-B-D]

निर्माण शुरू होने पर, यह कोई जवाब नहीं होगा कि अनुमति प्राप्त किए बिना गतिविधि की जा सकती है। साथ ही, अनुमतियों की परिकल्पना एक समयबद्ध अनुसूची में की जाती है न कि मामलों में सुधार के माध्यम से

अधिकारी वर्षों से चल रहे हैं। इस प्रकार, शुरुआत से ही इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। [पैरा 50] [166-ई]

1.4 उक्त परिप्रेक्ष्य में, यदि वर्तमान परियोजना को देखा जाए,

[2018] 1 एस. सी. आर. की विभिन्न अनुमतियों पर वास्तव में कोई सवालिया निशान नहीं है।

डी. एल. एफ. द्वारा प्राप्त निर्माण कार्य जारी रखें। ज़मीन.

बिक्री विलेखों के माध्यम से खरीदा गया था और बिक्री विलेखों में क्षेत्र की प्रकृति निर्दिष्ट की गई थी। इस प्रकार, यह कहने का कोई जवाब नहीं होगा कि राजस्व अधिकारी भी इस बात से अनजान हैं कि भूमि की प्रकृति क्या है। इस प्रकार, डी. एल. एफ. ने कानूनी रूप से भूमि खरीदी और एफ. ए. आर. सहित आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कीं, जिस पहलू को निगम द्वारा समझाया गया है कि क्यों यह 1.5 नहीं है जैसा कि के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है और न ही 2.5 जैसा कि डी. एल. एफ. द्वारा आरोप लगाया गया है, लेकिन दिए गए मामले में 2 के रूप में लिया गया था और इसलिए 1.99 एफ. ए. आर. की अनुमति दी गई थी ताकि दी गई एफ. ए. आर. की वैधता के बारे में कोई संदेह न हो। पर्यावरण मंजूरी भी दी गई थी और जो पहलू बचा था वह सीआरजेड क्षेत्र से संबंधित था। सी. ई. एस. एस. ने मई, 2009 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि परियोजना क्षेत्र में या उसके पास कोई सी. आर. जेड. I (i) भूमि नहीं थी, लेकिन यह सी. आर. जेड. II में स्थित थी। विशाल क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित, निर्मित क्षेत्र

उस रिपोर्ट में संपत्ति के आसपास भी गणना की गई थी। [पारस 51-53] [166-F-G; 167-A-C]

कि इसमें देरी के कारण इसे एक मानित अनुमति मामले के रूप में माना गया-सही या गलत। बीच में निर्माण इसे भी रोक दिया गया था लेकिन अपीलार्थी ने स्वयं इस आधार पर पर्यावरण मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश करने का फैसला किया कि संकीर्ण नहर एक जल निकासी नहर थी। अगर इस बारे में कोई संदेह था, तो उसे उसी स्तर पर सुलझा लिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा नियुक्त उप-समिति ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि संकीर्ण नहर एक जल निकासी नहर थी, लेकिन पूर्व प्राप्त नहीं करने के लिए जुर्माना लगाने की सिफारिश की।

अनुमोदन/मंजूरी। वास्तव में मामला खत्म हो जाना चाहिए था।

सुनवाई के समापन से पहले इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष जो कहा गया था और फिर सुनवाई के समापन के बाद एक अतिरिक्त हलफनामे में फिसलने के प्रयास के बीच विरोधाभास। [पैरा 54,62] [167-सी-ई; 169-बी-सी] 1.6 यह निस्संदेह विशेष प्राधिकारी हैं जिन्हें कार्य को पूरा करना है, लेकिन शीघ्रता के साथ। उनका अभावपूर्ण

दृष्टिकोण ने डी. एल. एफ. को एक मानित एस. ई. सी. वाई. का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड।

2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के खंड 8 (3) के आधार पर पर्यावरण मंजूरी। जबकि पर्यावरण मंजूरी लागू की गई थी

27.11.2007 पर, एकीकृत मंजूरी 11.12.2013 पर छह साल बाद दी गई थी, जबकि 2012 तक, परियोजना पूरी हो गई थी। [पैरा 56] [167-जी-एच; 168-ए]

1.7 जहाँ तक क्षेत्र की प्रकृति का संबंध है, राजस्व अभिलेखों को उचित महत्व दिया जाता है, जो परिलक्षित होते हैं।

निष्पादित बिक्री विलेखों में। निम्नलिखित न्यायालयों के साथ जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, उनमें से कुछ का समर्थन नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि कथित उल्लंघन स्पष्टता के साथ सामने नहीं आए हैं। [पैरा 57] [168-बी]

1.8 तटीय विनियमन क्षेत्र भूमि उपयोग मानचित्र 34 ए

उत्पादित से पता चलता है कि जहां भी निस्पंदन तालाब मौजूद थे, उन्हें इस तरह दर्ज किया गया था। वर्ष 2000 से बहुत पहले 1995-96 में निर्मित क्षेत्र में इस तरह के कोई निस्पंदन तालाब दर्ज नहीं किए गए हैं। इसलिए, इसके विपरीत निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है। डी. एल. एफ. द्वारा निस्पंदन तालाब का सुधार नहीं किया जा सकता था। डी. एल. एफ. की ओर से तैयार की गई गूगल छवियों से पता चलता है कि सितंबर, 2003 में जल निकाय का कोई सुझाव नहीं था। डी. एल. एफ. ने दो गूगल छवियों के संबंध में रिमोट सेंसिंग संस्थान की एक रिपोर्ट की सहायता भी ली है, जिन पर डी. एल. एफ. ने भरोसा किया है। अपीलार्थी अपने मामले की पुष्टि करने और यह समझाने के लिए कि पानी के नीचे वनस्पति दिखाई देने के साथ उथली गहराई की संपत्ति में रुके हुए पानी का एक बड़ा द्रव्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पानी का चिल्लन्नावुर के अप्रवाही जल से कोई स्थायी संबंध नहीं है।

नहर। नारियल के पेड़ों का अस्तित्व एक अन्य पहलू है जो अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों पर संदेह पैदा करता है। यदि अपीलार्थी ने प्रासंगिक समय पर शीघ्रता से कार्य किया होता, तो सही तस्वीर उपलब्ध होती, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। [पारस 58-60] [168-C-G]

1.9 डी. एल. एफ. के खिलाफ कथित उल्लंघनों पर नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्षों को इस हद तक स्वीकार नहीं किया जाता है कि

मानित मंजूरी के आधार पर पूर्व मंजूरी और कार्यवाही प्राप्त नहीं करने के मुद्दे पर प्रश्न चिह्न, कम से कम भविष्य के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 2006 की अधिसूचना के खंड 8 (3) को जिस भी तरीके से लिखा गया है, उससे अब से पूर्व मंजूरी और आवश्यक स्पष्टीकरण का संकेत मिलना चाहिए।

संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध [2018] 1 एस. सी. आर. में जारी किया जाना चाहिए।

भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थितियों को रोकने का तरीका। 1 करोड़ रुपये (जमा किए जाने के लिए कहा गया) जमा करने के विवादित आदेश में निहित निर्देश को उक्त उद्देश्य के लिए जुर्माना माना जा सकता है। कलेक्टर के खिलाफ परिचालन निर्देश

राज्य सरकार द्वारा इस कार्य की निगरानी करना और इसे करना व्यवहार्य नहीं होगा और यह उचित है कि इस राशि को सीआरजेड क्षेत्र के बेहतर प्रवर्तन और विकास के उद्देश्यों के लिए केसीजेडएमए को हस्तांतरित किया जाए। [पारस 65-66] [169-G-H; 170-A-B]

1.10 आक्षेपित आदेश के निष्कर्षों को अलग रखा जाता है जबकि

भविष्य में मानदंडों का सख्ती से पालन करने और अधिकारियों द्वारा इस तरह के विरोधाभासों से बचने के निर्देश के साथ 1 करोड़ रुपये के जुर्माने को बनाए रखना। यह उचित है कि अधिक एकल खिड़की मंजूरी के लिए घोषित नीति को देखते हुए, ऐसे आवेदनों के इस तरह के प्रसंस्करण की पद्धति को सरल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि कम अनिश्चितता और बेहतर प्रवर्तन हो। [पैरा 67] [170-सी]

मामला कानून संदर्भ

(2016) 10 एस. सी. सी. 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2012] 5 एससीआर 1108

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2013] 4 एससीआर 478

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[2004] 2 एससीआर 1135

पै

रा 47

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 117

120 2018 से।

उच्च न्यायालय के 21.12.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के डब्ल्यू. ए. सं. 1987 में एर्नाकुलम में केरल और डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 20555 , 28102 और 2015 का 33715।

के साथ

सी. ए. सं. 121 , 122 और 2018 का 123।

श्याम दीवान, पल्लव शिशोदिया, कपिल सिब्बल, पिनाकी मिश्रा,

कृष्णन वेणुगोपाल, रंजीत कुमार, अजीत के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, पृथ्वी गर्ग, अभय प्रताप सिंह, रेजी जॉर्ज, जॉन

मैथ्यू, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वी. एल., मनु नायर, ईशान गौर, एस. एस. श्रॉफ, माणिक सचदेवा, निखिल रोहतगी, शशांक खुराना, सैबी जोस किडनगूर, साजिथ पी. वारियर, पी. एस. सुधीर, रंजीत बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एसईसीवाई।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड।

एन. कैमल, विष्णु पझांगनत, राजीव नंदा, गुरमीत सिंह मक्कर, संजय कुमार पाठक, एस. वसीम ए. कादरी, सईद कादरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था संजय किशन कौल, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

वर्ष 2006 में विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त संपत्ति में केरल में चिलावन्नुरकायल (अप्रवाही जल) के पूर्वी तट पर स्थित लगभग 185 इकाइयों के एक बहुमंजिला आवासीय परिसर की परिकल्पना की गई थी। विचाराधीन क्षेत्र, जैसा कि तटीय विनियमन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट है (' सी. आर. जेड.) स्वयं दर्शाता है कि यह क्षेत्र कोच्चि निगम के अंतर्गत आता है और उक्त क्षेत्र, आसपास की पंचायतों के साथ अत्यधिक विकसित है। बैकवाटर की सीमा से लगे ज्वारीय दलदल और निस्पंदन तालाबों सहित कई निचले इलाकों को विभिन्न तीसरे पक्षों द्वारा निर्माण और अन्य विकास गतिविधियों के लिए पुनः प्राप्त किया गया है और विचाराधीन स्थल के करीब का क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित और निर्मित है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने केरल भवन नियम, 1984 के तहत 22.10.2007 पर कोच्चि निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी परियोजना के लिए एक भवन परमिट प्राप्त किया। यह भी वास्तव में विवादित नहीं है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन. ओ. सी., अग्निशमन और बचाव विभाग से एन. ओ. सी. और नौसेना से ऊंचाई मंजूरी जैसी अन्य संबंधित अनुमतियाँ भी प्राप्त की गई थीं।

बिल्डर्स डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड (जिसे पहले 'एडेली बिल्डर्स' के नाम से जाना जाता था)

& डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ') (इसके बाद' डी. एल. एफ. 'के रूप में संदर्भित) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया

पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (डी) के साथ। यह अधिसूचना पहले के स्थान पर थी। 27.1.1994 की अधिसूचना। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रक्रिया थी

विधिवत पालन किया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18.5.2006 पर अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया को संशोधित किया जा रहा था। पूर्व में आवश्यक सभी नई परियोजनाएं

केंद्र सरकार से पर्यावरण मंजूरी जैसा भी लागू हो या जैसा भी मामला हो, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (संक्षेप में 'एस. ई. आई. ए. ए.') जिसका विधिवत गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3)। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि एस. ई. आई. ए. ए. अपने निर्णय की सिफारिश पर आधारित होगा

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (संक्षेप में 'एस. ई. ए. सी.') का गठन अधिसूचना के बाद किया जाना है और इन प्राधिकरणों की स्थापना के अभाव में, प्रदान की गई श्रेणी को श्रेणी 'ए' परियोजना के रूप में माना जाएगा। पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ई. सी.) के अनुदान या अस्वीकृति से संबंधित खंड 8 और उसी के प्रासंगिक खंडों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(ईसी):

(i) नियामक प्राधिकरण सिफारिशों पर विचार करेगा।

संबंधित ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. को अपने निर्णय से अवगत कराना और

आवेदक की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य की सिफारिशें संबंधित स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या दूसरे शब्दों में

फाइनल की प्राप्ति के एक सौ पाँच दिनों के भीतर

पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, और कहाँ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, एक के भीतर

पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पाँच दिन

आवश्यक दस्तावेजों के भीतर, नीचे दिए गए प्रावधानों को छोड़कर।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX SECY। , केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

(iii) ऐसी स्थिति में जब नियामक प्राधिकरण का निर्णय नहीं होता है

उपरोक्त उप-अनुच्छेद (i) या (ii) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को सूचित किया जाता है, जैसा कि लागू होता है, आवेदक आगे बढ़ सकता है जैसे कि पर्यावरण मंजूरी मांगी गई है

संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अंतिम सिफारिशों के संदर्भ में नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान या अस्वीकार किया गया।

परियोजना। सी. ई. ए. सी. द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि परियोजना का कुछ क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र ('सी. आर. जेड.') के अंतर्गत आता है और इस प्रकार, परियोजना के विवरण की जांच मंत्रालय की सी. आर. जेड. समिति द्वारा की जा सकती है। और सी. आर. जेड. परियोजना के तहत एक अलग मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। इस सिफारिश को आगे बढ़ाने के लिए डी. एल. एफ. को सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज (संक्षेप में 'सी. ई. एस. एस.'), तिरुवनंतपुरम से सी. आर. जेड. स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसे सात अधिकृत/चिन्हित एजेंसियों में से एक कहा जाता है। कहा जाता है कि डी. एल. एफ. द्वारा 23.9.2008 पर सी. ई. एस. एस. के लिए एक आवेदन किया गया था, जो सकारात्मक रहा।

मई, 2009 में की गई सिफारिश में कहा गया था कि परियोजना की भूमि सी. आर. जेड. II में स्थित थी और परियोजना क्षेत्र में या उसके पास सी. आर. जेड. (I और I) में कोई क्षेत्र नहीं था। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि सितंबर, 2011 में सी. ई. एस. एस. द्वारा कुछ बाद की रिपोर्टें और एक संचार किया गया है।

दिनांकित 11.8.2014 लेकिन परियोजना पहली तारीख तक भी कमोबेश समाप्त हो गई थी या पर्याप्त रूप से उन्नत थी। बाद के घटनाक्रमों के उद्देश्य पर इसके बाद विचार किया जाएगा, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि पहली रिपोर्ट में डी. एल. एफ. द्वारा बैकवाटर के सुधार की ओर इशारा करने की कोशिश की गई थी। 2009 , पहले निस्पंदन तालाबों और धान के खेतों में सुधार और उच्च ज्वार की रेखाओं को स्थानांतरित करना। आई. डी. 1 दिनांकित संचार मई, 2009 की सी. ई. एस. एस. रिपोर्ट से कुछ तस्वीरों के कथित प्रतिस्थापन से संबंधित था और उस स्थान पर एक धारा/प्राकृतिक नहर का उल्लेख किया गया था जिसे सी. ई. एस. एस. द्वारा मानचित्रित किया गया था।

6. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि डी. एल. एफ. ने पर्यावरण मंजूरी का इंतजार नहीं किया और स्थल पर निर्माण गतिविधि तेज गति से चल रही थी। जाहिरा तौर पर एक कथित मानित मंजूरी पर क्योंकि कोई [2018] 1 एस. सी. आर. नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अवधि के दौरान संचार। यह केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की दिनांकित 29.10.2009 यात्रा रिपोर्ट से स्पष्ट है। (संक्षेप में 'के. सी. जेड. एम. ए.')/अपीलार्थी। इसके परिणामस्वरूप के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी ने आवश्यक अनुमति/अनुमोदन/प्राप्त किए बिना निर्माण शुरू करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए दिनांकित 21.1.2010 पत्र जारी किया।

के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी से मंजूरी। हालांकि, बाद में अपनी 40 वीं बैठक में के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा के बाद एमओईएफ को परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश करने का फैसला किया। इसके प्रासंगिक भाग को इसके बाद निकाला गया हैः

" केसीजेडएमए ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की है और

एमओईएफ को परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया। द.

उपसमिति का यह तर्क कि चॉइस गार्डन भवन से उच्च ज्वार-भाटा रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा में आने वाली संकीर्ण नहर केवल एक जल निकासी नहर है, जैसा कि बैठक में सहमति व्यक्त की गई है, क्योंकि संकीर्ण जल निकासी नहर को नहर के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण ने सी. आर. जेड. अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार संशोधित दस्तावेजों का पूरा सेट एकत्र करने का भी निर्णय लिया।

19 फरवरी, 1991 को मौजूदा एफ. एस. आई. और एफ. ए. आर. सहित। ”

7. के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी द्वारा नियुक्त एक उप-समिति ने फिर से साइट का दौरा किया और 19.7.2010 दिनांकित कुछ सिफारिशें कीं। उप-समिति की रिपोर्ट के अवलोकन में कहा गया है कि निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था और एक बहुमंजिला आवासीय परियोजना की बड़ी संख्या में मंजिलों की संरचना पूरी होने वाली थी। कहा जाता है कि इसने सी. आर. जेड. मंजूरी के लिए प्रस्तावित स्थल का मूल्यांकन करने के जनादेश में कुछ बाधा उत्पन्न की है। हालाँकि, यह दर्ज करता है कि यह स्थल सी. आर. जेड. II श्रेणी में आता है और इसमें मैंग्रोव जैसे कोई सी. आर. जेड. I (i) क्षेत्र नहीं हैं। सर्वेक्षण No.1019 में चॉइस गार्डन अपार्टमेंट मौजूद थे जो कि 19.2.1991 से पहले मौजूद थे। जहाँ तक संकीर्ण नहर थी

यह ध्यान दिया जाता है कि यह परियोजना स्थल के उत्तरी हिस्से के शहरी समूह से अपशिष्ट जल निकासी के लिए एक नगरपालिका नाली के रूप में कार्य करता है। आवासीय अपार्टमेंट एन. सी. आर. II का निर्माण अनुमेय पाया गया था लेकिन प्रस्तावित निर्माण मौजूदा सड़क के भूमि की ओर होना चाहिए। एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर यह भी ध्यान दिया गया कि खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा किसी भी नदी, खाड़ी, अप्रवाही जल, ज्वारनदमुख, रेत समुद्र तट या मैंग्रोव को नहीं काटनी चाहिए। सिफारिशें की गईं और इसके दो महत्वपूर्ण पहलू थेः

आई. उच्च ज्वार रेखा से आसपास के भूखंड (चॉइस गार्डन अपार्टमेंट) की मौजूदा अधिकृत इमारत तक की सबसे कम दूरी एसईसीवाई है।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

13.5 एमटीआरएस। , काल्पनिक रेखा को एच. टी. एल. के समानांतर मौजूदा अधिकृत भवन के समुद्र की ओर खींचा गया था।

ii. डी. एल. एफ. को निर्माण शुरू करने से पहले के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी से सी. आर. जेड. मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए थी।

प्रक्रियात्मक उल्लंघन।

मंजूरी मिल गई। 9. उप-समिति की उपरोक्त रिपोर्ट की जांच की गई और 31.8.2010 पर कार्यवृत्त तैयार किया गया। इनमें अभिलिखित मुख्य पहलू

जो एक बार फिर सामने आते हैंः (i) अप्रवाही जल की ओर काल्पनिक रेखा से आगे निकलने वाले किसी भी हिस्से को ध्वस्त किया जा सकता है (जो स्पष्ट रूप से किया गया है); (ii) उप-समिति द्वारा पाए गए "प्रक्रियात्मक उल्लंघनों" को देखते हुए, इसके लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 10. मामला किसी तरह समाप्त नहीं हुआ क्योंकि सी. ई. एस. एस. ने जून, 2011 में फिर से साइट का दौरा किया और सितंबर, 2011 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह एक तरह से डी. एल. एफ. के लिए कुछ और प्रतिकूल टिप्पणियों की शुरुआत थी। अब यह राय दी गई थी कि डी. एल. एफ. द्वारा 2009 से भूमि सुधार किया गया था, जिसके कारण अप्रवाही जल के तटों को पांच मीटर तक स्थानांतरित कर दिया गया था। क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, जिसे पुनः प्राप्त किया गया था, निचले इलाकों जैसे कि निस्पंदन तालाबों/धान के खेतों का हिस्सा पाया गया और अंत में एच. टी. एल. से सटीक दूरी प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर के सी. आर. जेड. मानचित्र पर भवन परिसर को अधिरोपित करने की आवश्यकता थी।

11. राजस्व प्रभागीय अधिकारी, फोर्ट कोच्चि ने 21.11.2011 पर निर्माण रोकने के लिए डी. एल. एफ. को एक अस्थायी स्टॉक ज्ञापन जारी किया।

परियोजना भूमि। ग्राम अधिकारी द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि चिलावन्नूर नदी के लगभग 50 सेंट को अवैध रूप से पुनः प्राप्त किया गया था, जिसे आरडीओ ने 17.12.2011 पर कोच्चि निगम को सूचित किया था। 12. इस पत्र का कारण एक [2018] 1 एस. सी. आर. के अनुसार कोच्चि के चिलावन्नूर के श्री एंटनी ए. वी. से प्राप्त शिकायत बताई गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी के विशेषज्ञों की टीम ने स्थल का दौरा किया था। श्री एंटनी उस याचिका में मूल याचिकाकर्ता हैं जिससे वर्तमान कार्यवाही उत्पन्न होती है। सी. ई. एस. एस. द्वारा 9.11.2012 पर साइट का दौरा किया गया था।

तो क्या यह एक रहस्य है कि डी. एल. एफ. को क्यों अलग किया गया था, जबकि पूरे क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया था जो रिपोर्टों में देखा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने परियोजना की प्रगति के खिलाफ 4.12.2012 पर अंतरिम आदेश दिए। के. सी. जेड. एम. ए./अपीलकर्ता भी उस स्तर पर सक्रिय हो गए, डी. एल. एफ. से परियोजना स्थल का एक सी. आर. जेड. नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस पर निर्माण अधिरोपित किया गया और एमओईएफ को आवश्यक कार्रवाई के लिए 29.12.2012 दिनांकित एक पत्र संबोधित किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि एक भूमि थी

डी. एल. एफ. द्वारा सुधार। सी. ई. ए. सी. ने 13/आई. डी. 1 को आयोजित अपनी 124 वीं बैठक में पर्यावरण मंजूरी पर विचार करने का निर्णय लिया और डी. एल. एफ. द्वारा किए गए कुछ उल्लंघनों का उल्लेख किया। हालाँकि, चूंकि एस. ई. आई. ए. ए. की स्थापना इस बीच अधिसूचना दिनांक 19.12.2011 के माध्यम से की गई थी, इसलिए परियोजना की फाइल को स्थानांतरित कर दिया गया था। आई. डी. 1 पर, परियोजना को एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा पर्यावरण मंजूरी द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन इसने डी. एल. एफ. को कारणदर्शक नोटिस जारी करने का भी निर्णय लिया कि ई. सी. जारी करने से पहले उसके खिलाफ उल्लंघन की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। अंत में 11.12.2013 पर, एस. ई. आई. ए. ए. ने केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित रिट कार्यवाही के परिणाम के अधीन परियोजना के लिए एक एकीकृत सी. आर. जेड.-सह पर्यावरण मंजूरी दिनांक 11.12.2013 जारी की। हम यहाँ स्वयं ध्यान दे सकते हैं कि डी. एल. एफ. द्वारा बताए गए पहलुओं में से एक यह है कि इस मंजूरी को किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई है और न ही इसे चुनौती देने के लिए रिट कार्यवाही में संशोधन किया गया है। 13. यह के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी का मामला है कि डी. एल. एफ. एस. ई. सी. वाई. की परियोजना के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा शिकायतें की गई थीं।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

और इस प्रकार, आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में परियोजना की सी. आर. जेड. स्थिति की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। जाहिरा तौर पर आई. डी. 2 पर, मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को कुछ उल्लंघनों की रिपोर्ट सौंपी और आई. डी. 1 पर तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट उपलब्ध थी जिसमें भूमि की अवैध वसूली और अन्य उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था। सी. ई. एस. एस. ने 11.8.2014 पर अपना मार्ग बदलने की भी मांग की और आरोप लगाया कि सी. आर. जेड. मंजूरी के लिए एम. ओ. ई. एफ. को प्रस्तुत सी. आर. जेड. मानचित्र से एक प्राकृतिक धारा नहर थी और कुछ दो तस्वीरों में सी. आर. जेड. मंजूरी के लिए एक प्राकृतिक धारा नहर थी।

प्रतिस्थापित किया गया। डी. एल. एफ. द्वारा रिट याचिका No.18483/2014 के माध्यम से रिपोर्ट को दी गई चुनौती को 19.8.2014 पर यह देखते हुए निपटाया गया कि मुख्य सचिव की दिनांकित 30.6.2014 की रिपोर्ट को केवल जानकारी के एक टुकड़े के रूप में माना जा सकता है।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने डीएलएफ के खिलाफ व्यावहारिक रूप से सब कुछ पाए जाने पर अपना फैसला सुनाया और पूरे मामले को वर्गीकृत किया। निर्माण को अवैध और कानून का उल्लंघन, विशेष रूप से सी. आर. जेड.

अधिसूचना, और इस प्रकार नियमित होने में सक्षम नहीं था। अवैध संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश पर डी. एल. एफ. द्वारा रिट अपील No.1987/2014 में हमला किया गया था। एक अलग रिट याचिका भी दायर की गई थी, जो रिट याचिका No.20555/2015 थी, जिसमें KCZMA/अपीलार्थी द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिनांकित 21.7.2014 रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। निर्माण पूरा होने और फ्लैट खरीदारों के हित को शामिल करते हुए, इन अपार्टमेंट खरीदारों ने अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिट याचिका Nos.2810/2015 और 3375/2015 भी दायर की।

विशेष रूप से पर्यावरण के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए, चिलावन्नूर नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, जिला कलेक्टर को आगे निर्देश के साथ प्रत्येक छह महीने में की गई गतिविधियों के लिए राशि के उपयोग के बारे में न्यायालय के समक्ष आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संभावित खरीदारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, लेकिन लागत की संतुष्टि के अधीन स्थानीय प्राधिकरण से भवन के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्वाग्रह के बिना। रिट याचिका No.20555/2015 को भी खारिज कर दिया गया था।

जो उल्लंघन हुए हैं, उन्हें उजागर करने के लिए घटनाएँ। इतने लंबे समय तक इस महत्वपूर्ण प्राधिकरण की खामोशी के बारे में अदालत के सवाल पर, केवल एक ही जवाब उपलब्ध था कि इसके पास एक प्रवर्तन तंत्र नहीं था और इसके लिए निगम पर निर्भर है। एक ही। यह, हमारे विचार में, इस तरह की निष्क्रियता के लिए शायद ही कोई जवाब हो सकता है यदि उल्लंघन थे। प्रवर्तन का पता लगाने से अलग है

उल्लंघन करते हैं। तटीय क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस प्राधिकरण के बाध्यकारी कर्तव्य के बारे में शायद ही कोई संदेह हो और यह एक प्रवर्तन बल की कथित अनुपस्थिति के रूप में निष्क्रियता के लिए स्पष्टीकरण देकर अपने हाथ नहीं धो सकता है। क्या इस प्राधिकरण ने शुरू से ही आंख खुली रखी थी और वह भूमिका निभाई थी जो वह था

खेलने के लिए आवश्यक, जो स्थिति आई है वह इस तरह से नहीं हुई होगी और उल्लंघनों की पहचान, यदि कोई हो, तो सीमा स्तर पर ही की गई होगी। यहां ऐसा नहीं हुआ।

17. विद्वान वकील द्वारा निर्भरता बाद की रिपोर्ट पर रही है, जब घोड़ों ने अस्तबल से बोल्ट किया था, उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए

शुरू से ही। मामला, जिसे पेश करने और प्रचार करने की मांग की गई थी, वह यह था कि 1991 के बाद से किसी भी सुधार की अनुमति नहीं थी, लेकिन वास्तव में भूमि को 2005-06 और 2009-11 में पुनः प्राप्त किया गया था। प्राकृतिक धारा सहित बाद की रिपोर्टों में बताए गए पहलुओं को इंगित किया गया कि कैसे निष्कर्ष पर पहुंचने में एच. टी. एल. माप मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। 18. डी. एल. एफ. के मुख्य आधारों में से एक, एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा 11.12.2013 पर दी गई एकीकृत पर्यावरण/सी. आर. जेड. मंजूरी प्राप्त करने से इनकार नहीं किया गया था, लेकिन यह तर्क दिया गया था कि मंजूरी निर्माण शुरू होने से पहले प्राप्त की जानी चाहिए थी जो संबंधित स्तर पर एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दी गई होगी। किसी भी मामले में एस. ई. आई. ए. ए. को एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय लेने चाहिए थे, जो नहीं किए गए थे। एस. ई. ए. सी. ने केवल पर्यावरण मंजूरी पर विचार किया था न कि परियोजना के लिए सी. आर. जेड. मंजूरी पर। उस फाइल को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा एस. ई. आई. ए. ए. को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए था।

एसईसीवाई। , केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

19. विद्वान वकील ने यह भी तर्क देना चाहा कि जहां तक परियोजना भूमि की सी. आर. जेड. स्थिति और उसके प्रभावों का संबंध है, विचाराधीन परियोजना क्षेत्र में विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख करके अप्रवाही जल और पोक्कली क्षेत्र (निस्पंदन तालाब) शामिल हैं, जो यह भी दर्शाते हैं कि परियोजना स्थल पर 2005 से भूमि सुधार किया गया था, जो एक निषिद्ध गतिविधि थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा एक प्राकृतिक अप्रवाही जल नहर को काट रही थी, न कि मानव निर्मित जल निकासी नहर, जैसा कि डी. एल. एफ. ने आरोप लगाया था।

20. परियोजना की एफ. एस. आई. और एफ. ए. आर. स्थिति के बारे में भी एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए क्योंकि इसे 1.99 की मंजूरी दी गई थी, जबकि

21. दाखिल किए गए लिखित सारांश में कहा गया है कि कोच्चि निगम के कुछ दोषी अधिकारियों और के. सी. जेड. एम. ए. के पूर्व अध्यक्ष/अपीलार्थी और सतर्कता मामलों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है। लंबित हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि मुख्य सचिव के खिलाफ एक सतर्कता मामला लंबित है, जिन्होंने दिनांकित 10.12.2014 को संबोधित किया था, हालांकि विचाराधीन परियोजना के संबंध में नहीं।

22. यह स्थापित करने के लिए कि कार्रवाई विचाराधीन परियोजना तक ही सीमित नहीं थी, अन्य उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई स्थापित करें।

23. के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी उप-समिति की रिपोर्ट 31.8.2010 परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन/सिफारिश देना और सिफारिश करना

जुर्माना लगाना मई, 2005 की सी. ई. एस. एस. रिपोर्ट पर आधारित बताया गया है, जो एच. टी. एल. पर आधारित थी, जिसे बाद में पाया गया था -

अधिरोपण, भूमि सुधार को शामिल करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप तीन सदस्य समिति की रिपोर्ट दिनांकित 21.7.2014।

24. विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी निर्णयों के एक समूह का उल्लेख किया

इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कि 'कोई विकास क्षेत्र नहीं' में अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस न्यायालय ने अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की प्रथा पर नाराजगी जताई है जहां पर्यावरण के मुद्दे शामिल हैं।

कोचीन नगर निगम का रुखः

25. निगम ने काफी हद तक खुद को 1.99 की एफ. ए. आर. मंजूरी के मुद्दे तक ही सीमित रखा है। यह कहा गया है कि अधिकतम एफ. ए. आर जैसा कि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा स्पष्ट किया गया है, कोच्चि निगम 2.5 है। केरल भवन नियम, 1999 में 1.50 एफ. ए. आर. की अधिकतम एफ. ए. आर. को 2.50 एफ. ए. आर. तक बढ़ा दिया गया था, जो [2018] 1 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. विचाराधीन भवन परमिट 22.10.2007 पर जारी किया गया था, जब मध्य शहर कोच्चि के लिए अधिकतम एफएआर घटाकर 2 कर दिया गया था। यह. इन परिस्थितियों में 1.99 का एफ. ए. आर. उपलब्ध कराया गया था।

केरल राज्य का रुखः 27. केरल राज्य ने कमोबेश के. सी. जेड. एम. ए. के रुख का समर्थन किया है, लेकिन तर्कों के दौरान यह प्रतीत होता है कि एक पहलू

जिसने वास्तव में परेशान किया था, वह निर्देश थे जिनके द्वारा कलेक्टर को जमा किए जाने वाले 1 करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और साथ ही इसका उपयोग करने की व्यवहार्यता भी थी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय का रुखः

28. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसके कारणों को बताए बिना अपने हलफनामे में पूरी तरह से उलटफेर किया है। मंत्रालय के सलाहकार डॉ. एस. के. सुसरला द्वारा 19.5.2016 पर उच्च न्यायालय के समक्ष मूल हलफनामा दायर किया गया था। हलफनामे में दर्ज किया गया है कि मंत्रालय को कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया था रिट कार्यवाहियों में न्यायालय के आदेशों द्वारा। हलफनामे में कहा गया है कि के. सी. जेड. एम. ए., एस. ई. आई. ए. ए., केरल की सिफारिशों के आधार पर यह पाया गया कि परियोजना 'बी' श्रेणी के अंतर्गत आती है और परियोजना के प्रस्तावकों ने निर्धारित शर्तों का पालन किया और निर्माण क्रम में है। प्रासंगिक पैरा 19 और 20 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

प्रावधान। 20.
कि उक्त निर्माण तकनीकी रूप से सीआरजेड अधिसूचना 1991 और ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

29. वर्तमान कार्यवाही में भी एक हलफनामा दिनांकित 6.11.2017 है

उपलब्ध, जो पुष्टि करता है कि एस. ई. आई. ए. ए., केरल 2013 में था और परियोजना 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुसार एक श्रेणी 'बी' परियोजना थी, मूल्यांकन एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा राज्य स्तर पर किया जाना था। पैरा 17 में अभिकथन निम्नानुसार हैंः

" 17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. ई. आई. ए. ए./एस. ई. ए. सी. में ऐसे सदस्य शामिल होते हैं जो अच्छी तरह से योग्य होते हैं और जिनके पास परियोजनाओं की जांच, मूल्यांकन और उन्हें एस. ई. सी. वाई. की सिफारिश करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता होती है।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

सभी उपयुक्त लागू करने के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के लिए

टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय स्थितियाँ

प्रबंधन। एस. ई. आई. ए. ए./एस. ई. ए. सी. स्तर पर ऐसी परियोजनाओं का विचार संघ तक सीमित शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है।

सरकार और भवन निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना। सभी के
लिए आवास की बढ़ती मांग का दृष्टिकोण। ”

7.11.2017 . पहली बार अब यह अनुरोध किया जाता है कि सी. आर. जेड. अधिसूचना, 1991, सी. आर. जेड. अधिसूचना, 2011 और ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन किया गया है और निर्माण गतिविधि शुरू होने से पहले अधिसूचनाओं के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य थी। यह भी आरोप लगाया जाता है कि पुनः प्राप्त जल निकाय और आवास परियोजनाओं के लिए सी. आर. जेड. के तहत आने वाली भूमि सी. आर. जेड. अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित है। द. कहा जाता है कि एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा एस. ई. ए. सी. के मूल्यांकन और सिफारिशों के बिना और के. सी. जेड. एम. ए. की मंजूरी के अभाव में परियोजना को निर्माण के बाद पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। यह हलफनामा अनुलग्नकों के साथ 31 पैराग्राफ में है।

डी. एल. एफ. का रुखः 32. डी. एल. एफ. ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि एक उद्यमी सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए बाध्य है, लेकिन नियामक प्राधिकरणों पर भी सूचित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने का एक संबंधित दायित्व है।

और उद्यमी द्वारा अनुपालन। कहा जाता है कि डी. एल. एफ. ने विभिन्न स्थानों से स्थल के निर्माण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त की हैं।

नगरपालिका प्राधिकरणों सहित प्राधिकरण। यह मुद्दा केवल पर्यावरण मंजूरी और सी. आर. जेड. से संबंधित है, जिन पहलुओं पर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अलग-अलग रुख अपनाया गया है और एक ही प्राधिकरण के रुख को भी बदला गया है।

33. 2005-2006 और 2009 2011 में भूमि की बहाली के आरोप का पुरजोर खंडन किया जाता है। यह बताया गया है कि चूंकि भूमि के पंजीकृत बिक्री विलेख दस्तावेज हैं, बिना स्वीकार किए यह मानते हुए कि [2018] 1 एस. सी. आर. है।

किसी भी सुधार में, डी. एल. एफ. की कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि 2006 में लेन-देन हुए थे। राजस्व प्राधिकरण को निश्चित रूप से पता होगा कि

यह क्षेत्र की प्रकृति है, अर्थात, चाहे वह भूमि हो या नहीं। इस मुद्दे से जुड़े, यह बताया गया है कि 1996 में तैयार किया गया तटीय विनियमन क्षेत्र भूमि उपयोग मानचित्र, जिसे डी. एल. एफ. द्वारा सी. ई. एस. एस. से सीधे आर. टी. आई. के तहत प्राप्त किया गया था, संपत्ति की प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। निस्पंदन तालाबों को 'एफपी' के रूप में चिह्नित किया जाता है। जिस क्षेत्र में डी. एल. एफ. ने निर्माण किया है, वहां ऐसा कोई एफ. पी. चिह्नित नहीं है। इस प्रकार, नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष को अभिलेख के विपरीत माना जाता है।

34. उपरोक्त तथ्य को एक संदर्भ द्वारा पुष्ट करने की कोशिश की जाती है।

बिक्री विलेखों में एक पाठ के लिए जहां जिले, उप-जिलों, तालुक, गांव, करा, फिरका, कार्यकाल और सर्वेक्षण संख्या सभी का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, खरीद के समय भूमि निश्चित रूप से मौजूद थी। इतना ही नहीं, दिनांकित 20.10.2006 के बिक्री विलेख में वस्तु संख्या 7 में इमारत Nos.CC 29/288 और वस्तु संख्या 9 में 29/201 के साथ भूमि की सीमा का उल्लेख किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि

36. दिसंबर, 2012 के मानचित्र में कहा गया है कि इसमें घनी वनस्पति दिखाई गई है, जिसमें जल निकाय का कोई निशान नहीं है और चिल्लावन्नूर से लगी तटीय रेखा है। नहर अच्छी तरह से परिभाषित और चिह्नित है। यह भी बताया गया है कि एसईसीवाई में सी. ई. एस. एस.

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

मई, 2009 की इसकी रिपोर्ट ने वाइटीला, कोच्चि के रूप में एक अपार्टमेंट परिसर के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की और पहले पन्ने की तस्वीर से ही पता चलता है कि मई, 2009 में चॉइस गार्डन के बगल में निर्माण से पहले विचाराधीन भूमि नारियल के पेड़ों से भरी हुई है जिससे पता चलता है कि मई, 2009 में, यह स्पष्ट रूप से एक जल निकाय नहीं था। इस तरह के नारियल के पेड़ रातोंरात नहीं उग सकते थे क्योंकि उनकी गर्भावस्था अवधि 10-15 वर्ष होती है।

37. क्रमिक सी. ई. एस. एस. रिपोर्ट से उत्पन्न विकास का विश्लेषण करने की मांग की जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि श्री के. वी. थॉमस एक इन रिपोर्टों के लिए पार्टी। रिपोर्ट के. सी. जेड. एम. ए. के पास थी और इस प्रकार, वहाँ

तस्वीरों को बदलने का कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। रिपोर्ट के सामने के कवर पर तस्वीर में संपत्ति पर नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। उसी श्री थॉमस द्वारा तैयार की गई सी. ई. एस. एस. रिपोर्ट और अन्य 2009 में लाल रंग में नाली को चिह्नित करते हैं और इसे सीआरजेड-I (ii) के तहत आने वाले अंतर-ज्वारीय क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं। 2010 की रिपोर्ट में, जिसमें श्री जोसेफ एक पक्षकार हैं, एच. टी. एल. का उल्लेख करते हुए, नहर को जल निकासी नहर के रूप में संदर्भित किया गया है और इस प्रकार, जल निकाय के पार न जाने के लिए काल्पनिक रेखा की आवश्यकता को लागू नहीं किया जाएगा। जनवरी, 2011 में एक अन्य रिपोर्ट में, श्री थॉमस ने विभिन्न परियोजनाओं का नाम देते हुए सिफारिशें कीं, जिन्होंने चिल्लावन्नूर झील के तट पर सीआरजेड का उल्लंघन किया था, जिन्होंने या तो पुनः प्राप्त किए गए निस्पंदन तालाब या अधिकृत भवनों के बैकवाटर साइड पर निर्माण करके उल्लंघन किया था और प्रतिवादी संख्या 1

परियोजना का नाम उसी में नहीं रखा गया था। इस प्रकार, कम से कम फरवरी, 2011 तक, यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी की राय में, डी. एल. एफ. को सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कहा गया था।

अनिवार्य है। एक बार जब के. सी. जेड. एम. ए. ने स्वयं एम. ओ. ई. एफ. को प्रस्ताव की सिफारिश की, तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि परियोजना के साथ आगे बढ़ने के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी और सी. ई. एस. एस. के लिए वास्तव में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का कोई अवसर नहीं था। 39. डी. एल. एफ. की ओर से वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया है कि उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है।

सितंबर, 2011 की टिप्पणियों के संबंध में डी. एल. एफ. 2012 की रिपोर्ट भी डी. एल. एफ. को कभी नहीं दी गई। इन पहलुओं को इस तरह से क्यों नहीं रखा गया, यह स्पष्ट नहीं है।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि मंथन

और रिग्मरोल ने अंततः कम से कम 11.12.2013 पर परियोजना की मंजूरी दे दी और निर्माण पूरा होने के बाद ही श्री एंटनी के कहने पर विभिन्न पहलुओं को शुरू किया गया, जिन्होंने कई वर्षों से इस मुद्दे पर उंगली उठाए बिना पूरी परियोजना को अपनी संपत्ति के पास विकसित होते देखा था। एफ. एस. आई. की स्थिति निगम द्वारा समझाई गई है। अंत में, हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि हालांकि जुर्माना अनावश्यक था, डीएलएफ ने जुर्माने को पलटने की मांग नहीं की है क्योंकि उसने विवादित आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है।

निष्कर्षः

41. हमने इस आदेश की शुरुआत अधिकारियों की सुस्त भूमिका की ओर इशारा करते हुए की जो विभिन्न लोगों द्वारा विरोधाभासी दावों में विकसित हो गया।

तथ्यात्मक मुद्दों पर अधिकारी और अंत में उसी प्राधिकरण द्वारा भी, जैसे कि एमओईएफ विरोधाभासी रुख अपना रहा है, यहां तक कि सुनवाई के समापन के बाद एक और अतिरिक्त रुख में फिसलने की कोशिश कर रहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि अधिकारियों ने के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी सहित अपनी भूमिका के महत्व को महसूस नहीं करते हुए अपने कार्य को शीघ्रता से नहीं किया है।

42. हम इस मामले से दो स्तरों पर निपटना चाहेंगे-एक सामान्य स्तर है और दूसरा मामले के दिए गए तथ्यों में है। 43. यह कहना ठीक नहीं है कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के महत्व के लिए विभिन्न विनियमों, नियमों और अधिनियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। विशेष निकाय जैसे

45. अनिल होबल बनाम। काशीनाथ जयराम शेट्ये ', यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. आर. जेड. III क्षेत्र में' नो डेवलपमेंट ज़ोन '(एच. टी. एल. से 200 मीटर) के भीतर आने वाली किसी भी अवैध संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था और यहाँ तक कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह, कानून का उल्लंघन करते हुए गलत इमारतों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने की प्रथा को इस न्यायालय से मंजूरी नहीं मिली है और मानवीय और न्यायसंगत आधारों को इसमें कोई जगह नहीं मिली है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में v.

1 1 (2016) 10 एससीसी 701 सीवाई।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]हेल्स बीच रिज़ॉर्ट 2, इसे निम्नानुसार देखा गया हैः

" 30. उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से मानवतावादी है

और न्यायसंगत विचार, इस प्रक्रिया में समान रूप से उपेक्षा करना, यदि अधिक नहीं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका लक्षद्वीप द्वीप समूह के भविष्य के विकास और प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है। हम.

इसलिए, जिस तरह से उच्च न्यायालय ने मामले में कार्यवाही की है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं।

31. उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से यह समझने में विफल रहा कि ऐसी स्थिति में न्यायसंगत विचार पूरी तरह से गलत थे जहां एक रिसॉर्ट के रूप में उपयोग की जाने वाली इमारत का निर्माण ही सीआरजेड आवश्यकताओं या भूमि उपयोग मोड़ की शर्तों का उल्लंघन करता है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकता था या प्रशासन को एक उचित अनुपालन के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता था। रिसॉर्ट नहीं हो सका

की अवहेलना में एक न्यायिक आदेश के तहत नियुक्त

प्रशासन द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियाँ, जिन आपत्तियों का कोई भी निर्देश जारी करने से पहले जवाब दिया जाना था

एक रिट कोर्ट से "। 46. उपरोक्त सीमा तक ईशा में भी अवलोकन हैं।

अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम। नगरपालिका

मुंबई का भाषण 3.

47. पीडाडे फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम। गोवा राज्य 1, यह है

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 5. यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने दो आवेदन दायर किए थे, जिनमें से एक दिनांकित 11.7.1995 है, ताकि याचिका को नियमित किया जा सके।

विचाराधीन निर्माण। गोवा राज्य तटीय समिति

पर्यावरण, तत्कालीन सक्षम निकाय ने एक उप-समिति का गठन किया जिसने स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि पूरा निर्माण

अपीलार्थी द्वारा उठाया गया एच. टी. एल. के 200 मीटर के भीतर गिर गया और मौजूदा रेत के टीलों पर निर्माण किया गया था। द.

पर्यावरण के लिए गोवा राज्य तटीय समिति ने अपनी दिनांकित 20.10.1995 की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि

अपीलार्थी द्वारा किया गया निर्माण तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना का उल्लंघन था।

3) 5 एस. सी. सी. 257

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाएँ तटीय क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के हित में जारी की गई हैं। ऐसे नियमों के उल्लंघन में उठाए गए निर्माण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हम नहीं समझते कि अपीलार्थी किसी भी राहत का हकदार है। द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में "।

संरचना के नीचे। हालाँकि, मुद्दा यह है कि मामले में तथ्यात्मक स्थिति का सही विश्लेषण क्या है। 49. हम इस बात पर भी जोर देना चाहेंगे कि प्रक्रियाओं पर निस्संदेह अधिक स्पष्टता होनी चाहिए और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच बेहतर समझ होनी चाहिए ताकि डेवलपर्स को मुश्किल में न छोड़ा जाए-उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारी बड़े निवेश को खतरे में डालते हुए एक उलटफेर करना जारी रखें। वर्तमान मामले में ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है।

50. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि भविष्य में जहां भी अनुमति लेने की आवश्यकता है और शुरू होने से पहले प्राप्त की जानी है।

51. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, यदि वर्तमान परियोजना को देखा जाए, तो वास्तव में जारी रखने के लिए विभिन्न अनुमतियों पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं है। निर्माण डी. एल. एफ. द्वारा प्राप्त किया गया है। जमीन खरीदी गई थी।

बिक्री विलेखों और बिक्री विलेखों के माध्यम से क्षेत्र की प्रकृति निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार, यह कहने का कोई जवाब नहीं होगा कि राजस्व अधिकारी भी इस बात से अनजान हैं कि भूमि की प्रकृति क्या है। इस प्रकार, डी. एल. एफ. ने कानूनी रूप से भूमि खरीदी और एफ. ए. आर. सहित आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कीं, जिस पहलू को निगम द्वारा समझाया गया है कि क्यों यह 1.5 नहीं है जैसा कि के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है और न ही 2.5 जैसा कि डी. एल. एफ. द्वारा आरोप लगाया गया है, लेकिन दिए गए मामले में 2 के रूप में लिया गया था और इसलिए 1.99 एफ. ए. आर. की अनुमति दी गई थी ताकि दी गई एफ. ए. आर. की वैधता के बारे में कोई संदेह न हो। हम कर सकते हैं

इस पहलू पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण मंजूरी और सी. आर. जेड. क्षेत्र के लिए आवश्यक मंजूरी से संबंधित है।

52. कुछ क्षेत्र के सी. आर. जेड.-1 क्षेत्र होने की संभावना ने एस. ई. सी. वाई. को बढ़ावा दिया था।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

पर्यावरण मंजूरी देते समय परियोजना को सी. आर. जेड. मंजूरी भी लेनी होगी। इस प्रकार, पर्यावरण मंजूरी भी दी गई और जो पहलू बचा था वह सी. आर. जेड. क्षेत्र से संबंधित था। 53. कहा जाता है कि उस स्तर पर सात अधिसूचित अधिकारी हैं, जो के. सी. जेड. एम. ए. द्वारा विश्लेषण के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे।

अपीलार्थी और ऐसी ही एक अधिसूचित एजेंसी सी. ई. एस. एस. थी। सीईएसएस ने दिया था

मई, 2009 में एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि परियोजना क्षेत्र में या उसके पास कोई सी. आर. जेड.-I (i) भूमि नहीं थी, लेकिन यह सी. आर. जेड.-II में स्थित थी। विचाराधीन संपत्ति के आसपास के बड़े विस्तार में अच्छी तरह से विकसित, निर्मित क्षेत्र भी उस रिपोर्ट में गिना गया था।

54. डी. एल. एफ. की गलती यह थी कि उसे तब तक अपना हाथ रोक लेना चाहिए था जब तक कि सी. आर. जेड. की अनुमति भी प्राप्त नहीं हो गई थी, लेकिन तथ्य यह है कि

उसी में देरी के कारण इसे एक मानित अनुमति मामले के रूप में माना गया था-सही या गलत। बीच में निर्माण भी रोक दिया गया था लेकिन अपीलकर्ता ने स्वयं इस आधार पर पर्यावरण मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश करने का फैसला किया कि संकीर्ण नहर एक जल निकासी थी

नहर। अगर इसके बारे में कोई संदेह था, तो यह होना चाहिए था उस स्तर पर ही बस गए। अपीलार्थी द्वारा नियुक्त उप-समिति ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि संकीर्ण नहर एक जल निकासी नहर थी, लेकिन पूर्व अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त नहीं करने के लिए जुर्माना लगाने की सिफारिश की। वास्तव में यह मामला जुर्माने की मात्रा निर्धारित करने के साथ समाप्त होना चाहिए था।

55. मई, 2009 की सी. ई. एस. एस. की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद, सी. ई. एस. एस. को दो साल बाद अपीलार्थी के अनुरोध पर फिर से आने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए, यह वास्तव में समझ में नहीं आता है। इस बीच अधिकांश निर्माण स्पष्ट रूप से किया गया था। श्री एंटनी द्वारा की गई शिकायतों ने 2012 से एक भूमिका निभाना शुरू कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से भी, प्राधिकरण और न्यायालय के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया, जब अधिकांश मामले सामने आए।

परियोजना पूरी हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि सी. ई. एस. एस. ने एक बार फिर दौरा किया

नवंबर, 2012 में उसी समय जब श्री एंटनी ने याचिका दायर की थी, अपीलार्थी की सिफारिश। 56. हमारे विचार में यह निस्संदेह विशेष प्राधिकारी हैं जिन्हें कार्य को पूरा करना है, लेकिन शीघ्रता के साथ। उनकी कमी

दृष्टिकोण ने डी. एल. एफ. को 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के खंड 8 (3) के आधार पर एक मानित पर्यावरण मंजूरी का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है, जिसे पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है। जबकि पर्यावरण [2018] 1 एस. सी. आर.

मंजूरी 27.11.2007 पर लागू की गई थी, एकीकृत मंजूरी थी

छह साल के बाद 11.12.2013 पर अनुदान दिया गया, जबकि 2012 तक परियोजना पूरी हो गई। 57. जहाँ तक क्षेत्र की प्रकृति का संबंध है, हमने राजस्व अभिलेखों को उचित महत्व दिया है, जो बिक्री में परिलक्षित होते हैं।

निष्पादित किए गए कार्य। नीचे दिए गए न्यायालयों के साथ जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, उनमें से कुछ हमारे पक्ष में नहीं हैं। इसका कारण यह है कि कथित उल्लंघन स्पष्टता के साथ सामने नहीं आए हैं।

58. तटीय विनियमन क्षेत्र भूमि उपयोग मानचित्र 34 ए तैयार किया गया

हमारे सामने डी. एल. एफ. द्वारा और जैसा कि श्री कपिल सिब्बल द्वारा समझाया गया है, विद्वान वरिष्ठ वकील बताते हैं कि जहां भी निस्पंदन तालाब मौजूद थे, वे ऐसे थे

रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2000 से बहुत पहले 1995-96 में निर्मित क्षेत्र में इस तरह के कोई निस्पंदन तालाब दर्ज नहीं किए गए हैं। इसलिए, इसके विपरीत निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है। नहीं हो सकता था डी. एल. एफ. द्वारा निस्पंदन तालाब का पुनर्निर्माण।

59. बहस के दौरान विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने फरवरी, 2005 की गूगल छवियों पर भरोसा करने की कोशिश की है।

और दिसंबर, 2005 यह सुझाव देने के लिए कि स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। डी. एल. एफ. की ओर से श्री सिब्बल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से ऐसी गूगल छवियों की निर्भरता पर गंभीर संदेह करने में सक्षम रहे हैं कि छवि में काला क्षेत्र एक अलग जल निकाय है। इस तथ्य से कि दिनांकित 20.10.2006 बिक्री विलेख में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इसका उल्लेख नहीं है। डी. एल. एफ. की ओर से तैयार की गई गूगल छवियों से पता चलता है कि सितंबर, 2003 में जल निकाय का कोई सुझाव नहीं था। डी. एल. एफ. ने अपने मामले की पुष्टि करने और यह समझाने के लिए कि पानी के नीचे वनस्पति के साथ उथली गहराई की संपत्ति में रुके हुए पानी का एक बड़ा द्रव्यमान था, दो गूगल छवियों के संबंध में रिमोट सेंसिंग संस्थान की एक रिपोर्ट की सहायता भी ली है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पानी का कोई स्थायी संपर्क नहीं है।

चिल्लन्नावुर नहर के अप्रवाही जल के साथ। नारियल के पेड़ों का अस्तित्व एक अन्य पहलू है जो अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों पर संदेह पैदा करता है।

60. जैसा कि ऊपर देखा गया है, यदि अपीलार्थी ने शीघ्रता से कार्य किया था

प्रासंगिक समय पर, हमें यकीन है कि सही तस्वीर उपलब्ध होगी चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। 61. सी. ई. एस. एस. की ओर से भी इस दृष्टिकोण में भटकाव और विरोधाभास रहे हैं, भले ही श्री के. वी. थॉमस पार्टी एस. ई. सी. वाई. थे।

, केरल राज्य तटीय एम. एन. जी. एम. टी. एयूटीएच। वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

62. एम. ओ. ई. एफ. का दृष्टिकोण भी अजीब और सुनवाई के समापन से तीन सप्ताह पहले हमारे सामने उच्च न्यायालय के समक्ष जो कहा गया था और फिर सुनवाई के समापन के बाद एक अतिरिक्त हलफनामे में फिसलने के प्रयास के बीच एक पूर्ण विरोधाभास प्रतीत होता है। 63. सी. ई. ए. सी. ने 2008 में ही सुझाव दिया था कि सी. आर. जेड. समिति प्रस्ताव की जांच कर सकती है जो ऐसा किया गया था। अपीलार्थी के साथ इस पर चर्चा की गई और आगे की आवश्यक जानकारी भी मांगी गई। सी. ई. एस. एस. से रिपोर्ट मई, 2009 में प्राप्त की गई थी और परियोजना क्षेत्र का केवल एक हिस्सा सी. आर. जेड. II श्रेणी में पाया गया था। सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से गुजरने के बाद, अपीलार्थी ने एक

31.8.2010 पर सिफारिश कि निर्माण CRZ II क्षेत्रों में आता है और संकीर्ण नहर निर्माण के लिए एक बाधा नहीं थी। अपीलार्थी ने स्वयं एमओईएफ को प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

64. यह एम. ओ. ई. एफ. का अपना विवेक है कि एस. ई. आई. ए. ए. की स्थापना के साथ पूरी फाइल को इसे अग्रेषित किया जाना चाहिए और इसकी मांग की गई थी

एस. ई. आई. ए. ए. के पास उपलब्ध विशेषज्ञों के आधार पर उचित ठहराया जाए। जो बात हमारे लिए सबसे अधिक भारी है वह यह है कि 11.12.2013 पर फ़ाइल के हस्तांतरण के बाद, प्रस्ताव को एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जो अंतिम प्राधिकरण है, और जिसे कभी भी वापस नहीं लिया गया है या रद्द या चुनौती नहीं दी गई है। यह मंजूरी डी. एल. एफ. से स्पष्टीकरण मांगने वाले कारण दर्शाओ नोटिस के बाद दी गई थी।

स्पष्टीकरण दिया जा रहा था, जारी किया गया था। अब अधिकारियों के लिए अन्यथा कहना या खुद का खंडन करना डी. एल. एफ. के लिए उचित नहीं होगा और अगर इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति दी जाती है तो गंभीर अनिश्चितता पैदा होगी।

65. इस प्रकार, हम डी. एल. एफ. के खिलाफ कथित उल्लंघनों पर निम्नलिखित न्यायालयों के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं, सिवाय इसके कि मानित मंजूरी के आधार पर पूर्व मंजूरी और कार्यवाही प्राप्त नहीं करने के मुद्दे पर एक सवालिया निशान है, कम से कम भविष्य के लिए हमने स्पष्ट किया है कि 2006 की अधिसूचना के खंड 8 (3) को जिस भी तरीके से लिखा गया है, उससे अब से पूर्व मंजूरी का संकेत मिलना चाहिए और संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे [2018] एस. सी. आर. को समाप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए जाने चाहिए।

भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ। हम महसूस करते हैं कि 1 करोड़ रुपये (पहले से ही जमा किए जाने के लिए कहा गया) जमा करने के विवादित आदेश में निहित निर्देश को उक्त उद्देश्य के लिए जुर्माना माना जा सकता है।

66. हमारा यह भी विचार है कि इस कार्य की निगरानी करने और उसे करने के लिए राज्य सरकार के कलेक्टर के खिलाफ परिचालन निर्देश व्यवहार्य नहीं होंगे और यह उचित है कि इस राशि को बेहतर प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए के. सी. जेड. एम. ए./अपीलार्थी को हस्तांतरित किया जाए और

सीआरजेड क्षेत्र का विकास।

67. अंत में हम सख्त आदेश के साथ 1 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखते हुए विवादित आदेश के निष्कर्षों को दरकिनार करते हैं। भविष्य में मानदंडों का पालन और अधिकारियों द्वारा इस तरह के विरोधाभासों से बचना। हम यह भी उचित महसूस करते हैं कि अधिक एकल खिड़की मंजूरी के लिए घोषित नीति को देखते हुए, ऐसे आवेदनों के इस तरह के प्रसंस्करण की पद्धति को सरल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि कम अनिश्चितता और बेहतर प्रवर्तन हो। आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर भी ऐसा किया जा सकता है।

68. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन